



भारत में दत्तक ग्रहण

प्रलिस के ललल:

भारत में दत्तक ग्रहण, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधकरण, हदु दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधनललम, 1956, कशोर नुलल (बच्चों की देखभाल और संरकषण) संशोधन अधनललम, 2021

मेनुस के ललल:

भारत में गोद लेने से संबंघतल कानून, भारत में गोद लेने से संबंघतल प्रमुख चुनौतललँ ।

[सुरत: द हदु](#)

चरुा में कुरुँ?


केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधकरण (CARA) गोद लेने के ललल उपलबुध बच्चों और इच्छुक दत्तक लललल-पतलल की संखुलल के बीच के अंतर को कम करने में असमरुथ रलल है, जसलके परणलमसवरूप गोद लेने की प्रकुरुलल में लंबी देरी हो रही है ।

- दत्तक ग्रहण संदरुभ (Adoption Referral) प्राप्त करने के ललल लललल-पतलल की प्रतीकषा अवधल वरुष 2022 में 3 वरुष से बढकर वरुष 2025 में लगभग 3.5 साल हो गई है ।

भारत में दत्तक ग्रहण की सुथतल कुरुल है?

- भारत में दत्तक ग्रहण की सुथतल: 2024-25 में रकुरुड 4,515 बच्चुे गोद लललल जाने के सलल ही भारत के गोद लेने से संबंघतल इकोसलसुतलम में उलुखनील सुधलर देखा गलल, जो वरुष 2015-16 के बलद से सरवलधकल है ।
 - इनमें से 4,155 बच्चुँ को घरेलू सुतर पर गोद लललल गलल, जो देश में बच्चुँ को कानूनी तौर पर गोद लललल जाने के प्रतल बढती सुवीकलरुतल को दरुशलल है ।

Child Adoption Statistics



- **नोडल केंद्रीय एजेंसी:** कश्मिर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत स्थापित केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के दत्तक ग्रहण की देखरेख के लिये ज़िम्मेदार है।
- **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की ज़िम्मेदारी:** राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर कश्मिर न्याय अधिनियम, 2015 का कार्यान्वयन वभिन्न एजेंसियों द्वारा किया जाता है, जिनमें शामिल हैं:
 - राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों (SARA)
 - स्थानीय बाल कल्याण समितियाँ
 - ज़िला बाल संरक्षण इकाइयाँ (DCPU)
- **कानूनी ढाँचा:**
 - **हद्द दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA), 1956:** HAMA, 1956 हद्द, बौद्ध, जैन और साखि समुदायों के व्यक्तियों को कानूनी रूप से गोद लेने की अनुमति देता है।
 - उल्लेखनीय है कि HAMA के अंतर्गत गोद लेने के लिये CARA में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है।
 - **कश्मिर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015:** यह भारत में सभी नागरिकों के लिये, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, गोद लेने को न्यतिरति करता है।
 - इस अधिनियम के तहत, भावी दत्तक माता-पिता को CARA के पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है, जिसके बाद एक **वशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी (Specialised Adoption Agency- SAA)** एक **गृह अध्ययन रिपोर्ट (Home Study Report- HSR)** तैयार करती है।
 - यदि वे योग्य पाए जाते हैं, तो उन्हें उस बच्चे से मिलाया जाता है जसि गोद लेने के लिये कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया हो।
- **अंतरराष्ट्रीय ढाँचा:** बच्चों के संरक्षण और अंतरराष्ट्रीय दत्तक ग्रहण के संबंध में सहयोग पर **हेग कन्वेंशन (1993)** यह सुनिश्चिती करता है कि अंतरराष्ट्रीय दत्तक ग्रहण नैतिक, कानूनी और पारदर्शी तरीके से किये जाएँ।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)

- **परिचय:** CARA एक [2/2/2/2/2/2] और [2/2/2/2/2/2] [2/2/2/2/2] है, जो **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** के अंतर्गत कार्य करता है।


■ उद्देश्य और कार्य:

- यह [2017](#), [2018](#) और [2019](#) के दत्तक ग्रहण को [2020](#) [2021](#) [2022](#) के माध्यम से सुगम बनाता है।
- यह [कशोर नयाय \(बालकों की देखरेख और संरक्षण\) अधिनियम, 2015](#) के तहत [2020](#) [2021](#) [2022](#) [2023](#) करता है।
- यह वर्ष [1993](#) [2020](#) [2021](#) [2022](#) [2023](#) के तहत [2020](#) [2021](#) [2022](#) [2023](#) के रूप में भी कार्य करता है, जसि भारत नेवर्ष [2003](#) में अनुमोदति कयिा था।

भारत में दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- बढ़ती मांग-आपूर्ति अंतराल: दत्तक ग्रहण के इच्छुक माता-पति (PAPs) और दत्तक योग्य बच्चों के बीच [2020](#) [2021](#) [2022](#) [2023](#) [2024](#) [2025](#) (13:1) है। केवल [2020](#) [2021](#) [2022](#) [2023](#) ही दत्तक ग्रहण के लिये पात्र होते हैं, क्योंकि कई मामलों में [2020](#)-[2021](#) [2022](#) [2023](#) [2024](#) या बच्चों को [2020](#) [2021](#) [2022](#) (legally free) स्थिति प्राप्त नहीं होती है।
 - दत्तक ग्रहण में देरी वर्ष [2017](#) में [1](#) वर्ष से बढ़कर [2025](#) में [3.5](#) वर्ष हो गई है, जिससे अवैध या अनौपचारिक दत्तक ग्रहण को लेकर चिंता बढ़ गई है, जैसा कि [संसदीय समिति](#) ने भी अपनी रिपोर्ट में उजागर कयिा है।

■ Prospective Parents registered ■ Children legally free for adoption



- संरचनात्मक और कानूनी बाधाएँ: [जेजे अधिनियम, 2021](#) को [2020](#) [2021](#) [2022](#) [2023](#) [2024](#) [2025](#) के कारण दत्तक ग्रहण में देरी का सामना करना पड़ता है।
 - वर्ष [2022](#) की स्थायी समिति ने [हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम \(HAMA\)](#) और [जेजे अधिनियम](#) के बीच [2020](#) [2021](#) [2022](#) को चनिहति कयिा।
- उम्र और अभिभावक प्राथमिकता में असंगति: लगभग [34%](#) दत्तक योग्य बच्चे [14](#) वर्ष से अधिक उम्र के हैं, जबकि अधिकांश [2020](#) [2021](#) [2022](#) (0-2 [2023](#)) को गोद लेना पसंद करते हैं। यह पूर्वाग्रह के कारण [2020](#) [2021](#) [2022](#) की उपेक्षा होती है।
 - [CARA डेटा \(2024\)](#) के अनुसार, गोद लिये गए बच्चों में से [60%](#) लड़कियाँ हैं तथा [80%](#) 0-2 आयु वर्ग के हैं, जो छोटे बच्चों के लिये माता-पति की मज़बूत प्राथमिकता को दर्शाता है।
- बच्चों की वापसी की उच्च दर: वर्ष [2017](#)-[2019](#) के बीच दत्तक माता-पति द्वारा बच्चों को वापस करने की दर में वृद्धि हुई, जनिमें [60%](#)

लड़कियाँ थीं, 24% विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे थे और कई की उम्र 6 वर्ष से अधिक थी।

◦ यह परामर्श और तैयारी की अपर्याप्तता के कारण दत्तक कुटुंब में समायोजन की चुनौतियों को दर्शाता है।

- **LGBTQ+** दत्तक ग्रहण और वधिक बाधाएँ: परंपरागत कुटुंब मानदंडों और वधिक मान्यता की कमी के कारण, **LGBTQ+** व्यक्ति तथा युगल औपचारिक दत्तक प्रणाली से बाहर हो जाते हैं। इससे क्वीयर समुदाय के भीतर अनौपचारिक या अवैध दत्तक ग्रहण के मामलों में वृद्धि हुई है।

भावी दत्तक माता-पिता के लिये पात्रता मानदंड (दत्तक ग्रहण वनियमन, 2022 का वनियमन 5)

Adoption Eligibility Criteria in India

Who Can Adopt

Married Couples:

- Must be married and living together for at least two years.
- Age difference with the child should not exceed 45 years.
- Should not have more than two living biological children.

Single Parents:

- Must be above 30 years of age.

General Eligibility:

- Anyone, regardless of gender or marital status, can adopt.
- Must meet other criteria like age, financial stability, and ability to provide a supportive home.

Who Cannot Adopt

- Convicted of an offense involving moral turpitude or punishable under IPC or other laws.
- Found guilty of child abuse or cruelty towards a child.
- Found guilty of abandoning or neglecting a child.
- Undergoing treatment for any life-threatening or infectious disease.
- Declared of unsound mind by a competent court.
- If one spouse in a couple has been declared of unsound mind or is undergoing treatment for any life-threatening or infectious disease.
- Divorced or legally separated couples.
- Individuals under 21 years of age, married or single
- Single male cannot adopt a girl child.

भारत में दत्तक ग्रहण और पोषण देखरेख में सुधार हेतु उठाए गए कदम:

- **बच्चों के पूल का वसितार:** CARA ने बाल देखभाल संस्थानों (CCI) के बच्चों को कानूनी दत्तक ग्रहण पूल में जोड़ा और उन्हें 5 श्रेणियों (अनाथ, परित्यक्त, आत्मसमर्पण, बना मुलाकात के, अयोग्य अभिभावकता) के तहत वर्गीकृत किया, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के नरिदेशों के अनुसार (सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2023 में एक NGO द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था)
- **डिजिटल सुधार:** CARA ने **CARINGS पोर्टल** को पोषण देखरेख मॉड्यूलस और रश्तेदार/सौतेले माता-पिता द्वारा दत्तक ग्रहण की नई प्रक्रिया कार्यप्रवाहों के साथ अपडेट किया, जिससे दत्तक प्रक्रिया का समय घटाकर 3-4 महीने कर दिया गया।
- **अनविरय परामर्श (2025):** CARA ने दत्तक ग्रहण करने वाले कुटुंब और बच्चों को समर्थन प्रदान करने के लिये दत्तक ग्रहण से पहले, दत्तक प्रक्रिया के दौरान तथा दत्तक ग्रहण के बाद के चरणों में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा संरचित परामर्श की व्यवस्था शुरू की है।

भारत में दत्तक ग्रहण प्रणाली को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने हेतु क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- **बाल-केंद्रित दृष्टिकोण:** दत्तक नीतिको अभिभावक-केंद्रित से बाल-केंद्रित बनाने की आवश्यकता है, जिससे बच्चों के कुटुंब, देखभाल और संरक्षण के अधिकार को प्राथमिकता दी जा सके। यह बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRC) के अनुरूप होना चाहिये।
- **दत्तक प्रक्रिया को सरल बनाना:** JJ अधिनियम, 2021 और दत्तक विनियम, 2022 को सुव्यवस्थित करते हुए समयबद्ध मंजूरी, डिजिटल रूप से बाल देखभाल संस्थानों (CCI) और CARA के एकीकरण तथा समर्पित दत्तक अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता है।
- **मनो-सामाजिक सहायता को सुदृढ़ करना:** CARA द्वारा अनविरय परामर्श व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, जिससे प्रशिक्षित पेशेवरों के माध्यम से कुटुंब में अपनाए गए बच्चों के साथ बेहतर तालमेल और कम वधितन सुनिश्चित हो सके।
- **जागरूकता बढ़ाना और दत्तक ग्रहण से जुड़े कलंक को दूर करना:** नॉन-बायोलॉजिकल पैरेंटहुड से जुड़ी सामाजिक भ्रान्तियों को दूर करने के लिये IIEC (सूचना, शिक्षा और संचार) अभियान चलाए जाए और विशेष आवश्यकता वाले व बड़ी आयु के बच्चों के दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहित किया जाए।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में दत्तक ग्रहण के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिये। जन जागरूकता और संस्थागत सुधार मलिकर दत्तक ग्रहण के प्रति अधिक अनुकूल संस्कृतिका निर्माण कैसे कर सकते हैं?